बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.................

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–01/2019–332/श्री मनोज कुमार सिंह, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, बेगुसराय जिन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1)(क) में निहित प्रावधान के अंतर्गत निलंबित किया गया था । विभागीय अधीसूचना सं0– 98 दिनांक 11.01.2019 द्वारा दो वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव अवरूद्ध करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया है, को राजीव नगर थाना, पटना द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के धारा–37 (A) के तहत् राजीव नगर थाना कांड सं0–537/18 दिनांक 26.12.18 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण पुनः निलंबन से मुक्त होने की तिथि दिनांक 11.01.19 से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 नियम–9 (1)(क) (ग) एवं (2) (क) के तहत् श्री सिंह को निलंबित किया जाता है।

2. काराबास से मुक्त होने के उपरान्त निलंबन अवधि का मुख्यालय अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।

3. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–01/2019 –............../ पटना, दिनांक–...................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–01/2019 –............../332 पटना, दिनांक–30.01.19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत–सह–सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री मनोज कुमार सिंह, निलबित अधीक्षक उत्पाद, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/01/19
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।